

मध्य रेल

अधिसूचना

संख्या:एचपीबी/655-आर/पेंशन/रिवीजन ऑफ पेंशन

दिनांक 31.12.2012

रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार वर्ष 2006 के पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी और परिवार पेंशन भोगियों को संशोधित पीपीओ जारी करने और पेंशन में संशोधन करने संबंधी कार्य इस रेल पर चल रहा है ।

जिन पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को छठवे वेतन आयोग के अनुसार अभी तक सुधारित वेतन तथा संशोधित पीपीओ प्राप्त न हुआ हो, तो उन्हें सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार अपना आवेदन पत्र तीन प्रतियों में भरकर जहां से वे सेवानिवृत्त हुए/मृत हुए (परिवार पेंशनभोगियों के मामले में) उस कार्यालय में प्रस्तुत करें । अर्थात् मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय आदि ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.01.2013 है ।

प्रोफार्मा

क्र.	विवरण	
1	पेंशनभोगी का नाम/परिवार पेंशनभोगी का नाम	
2	पदनाम	
3	विभाग	
4	जहां से सेवानिवृत्त हुए वह कार्य स्थल/स्टेशन/कार्यालय	
5	सेवानिवृत्ति/मृत होने की तिथि	
6	पीपीओ क्रमांक (प्रति संलग्न करें)	
7	पेंशन भुगतान बैंक का /शाखा का नाम तथा पता	
8	पेंशन अकाउंट क्रमांक	
9	वर्तमान पता	
10	परिवार विवरण, आयु के प्रमाण सहित	

पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को सूचित किया जाता है कि कर्मचारी का पति/पत्नी/प्राप्त बच्चों की जन्मतिथि के दावे को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित कागजातों में से किसी एक की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें :-

1. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
2. पैनकार्ड
3. रेलवे द्वारा जारी मेडिकल कार्ड
4. रेलवे द्वारा जारी पास पहचान पत्र
5. पासपोर्ट
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. आधार कार्ड

दिनांक

स्थान

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

वेबसाइट cr.indianrailways.gov.in

सुनील/1

मध्य रेल

अधिसूचना

संख्या:एचपीबी/655-आर/पेंशन/रिवीजन ऑफ पेंशन

दिनांक 31.12.2012

रेलवे बोर्ड तर्फे वेळोवेळी जारी आदेशानुसार वर्ष 2006 च्या आधी सेवानिवृत्त झालेल्या पेंशनर व परिवार पेंशनर यांना संशोधित पीपीओ जारी करण्याचे व सुधारित पेंशन देण्याचे काम सध्या मध्य रेलवे वर चालू आहे.

ज्या पेंशनर आणि परिवार पेंशनरांना सहाय्या वेतन आयोगानुसार आत्ता पर्यंत सुधारित पेंशन आणि सुधारित पीपीओ मिळाला नसेल, त्यांना कळवण्यात येते कि त्यांनी खालील अनुसार ठराविक नमून्यात आपले आवेदन तीन तीन प्रति मध्ये भरून जिथून ते सेवानिवृत्त झाले/मृत्यु पावले (परिवार पेंशनरांसाठी) त्या कार्यालया मध्ये सादर करावे, अर्थात मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/मुख्य कारखाना प्रबंधक इत्यादि.

आवेदन सादर करण्याची शेवटची तारीख 31.01.2013 आहे.

प्रोफार्मा

क्र.	विवरण	
1	पेंशनर/परिवार पेंशनरचे नाव	
2	पदनाम	
3	विभाग	
4	जेथून सेवानिवृत्त झाले, ते कार्यालय, स्टेशन, विभाग	
5	सेवानिवृत्त/मृत्यु ची तारीख	
6	पीपीओ क्रमांक (प्रति संलग्न करा)	
7	पेंशन अदाकर्ता बँकेचे, शाखेचे नाव पत्ता	
8	पेंशन खाते क्रमांक	
9	सध्या वास्तव्याचा पत्ता	
10	परिवाराची माहिती, वयाचा दाखलासह	

पेंशनर व परिवार पेंशनर्सना कळवण्यांत येते कि कर्मचा-याचीपपत्नी/पति/पात्र मुलांच्या जन्मतारखेचा दावा सिद्ध करण्यासाठी खालीलपैकी कोणताही एखादा कागदपत्र, त्याच्या सत्यापितप्रति जोडून सादर करावा :-

1. शाळा सोडल्याचा दाखला
2. पल्लकार्ड
3. रेलवे द्वारा जारी मेडिकल कार्ड
4. रेलवे द्वारा जारी ओळखपत्र
5. पासपोर्ट
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. आधार कार्ड

दिनांक

स्थान

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनरची स्वाक्षरी

वेबसाइट cr.indianrailways.gov.in

सुनील/2

Central Railway

Notification

No. HPB/655-R/Pen/Pension Revision

As per the instructions issued by Railway Board from time to time on the subject the revision and issue of revised PPOs to the Pensioners and Family Pensioners of Pre 2006, is being implemented on this Railway.

The Pensioners/Family pensioners, whose Pension has not been revised and issued revise PPOs as per the VI th Pay Commission, are hereby advised to submit an application in the prescribed format (in-triplicate) from where he/she retired/expired (in case of family pensioner). I.e. to CPO (Bills) in case of Headquarters office, Sr.DPOs in case of Divisions and CWMs in case of Work shops concerned.

The last date for submission of the application is 31.01.2013

Format

Sr.No	Particulars	
1	Name of the pensioner/family pensioner	
2	Designation	
3	Department	
4	Place/Stn and Office from where retired	
5	Date of retirement/death	
6	PPO No. (copy to be enclosed)	
7	Name and address of the pension paying Bank and branch	
8	Pension Account	
9	Present Address	
10	Family particulars with proof of age	

The Pensioners/ family pensioners are advised to enclose attested copies of any of the following documents in support of their claim for date of birth of their spouse/eligible ward.

1. School leaving certificate
2. PAN Card
3. Medical Card issued by Railway
4. Pass identity card issued by Railway
5. Pass Port
6. Driving License
7. Adhar Card

Date:

Place:

Signature of Pensioner/family pensioner

web site

cr.indianrailways.gov.in